The Chitransh Academic & Research
An International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume1 | Issue 4 | September 2025
ISSN: 3049-303X (Online)
Website: www.thechitranshacadmic.in

कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के श्रम अधिकार: भारतीय श्रम कानूनों के आधार पर एक अध्ययन

सुश्री प्रीति कनाडिया
विधि संकायडॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, इंदौर
विभाग : विधि एवं सामाजिक न्याय विद्यालय

लेख विवरण

शोधपत्र

प्राप्ति तिथि: 17/09/2025
स्वीकृति तिथि: 25/09/2025
प्रकाशनतिथि: 30/09/2025

मुख्य शब्द : कृषि श्रमिक, श्रम अधिकार, , सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता।

सारांश

भारत में कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इसमें महिलाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महिलाएँ कृषि के विभिन्न कार्यों जैसे बीजारोपण, निंदाई-गुड़ाई, कटाई, पशुपालन और विपणन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके बावजूद, उनका श्रम अक्सर अदृश्य होता है और उन्हें पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी, सीमित निर्णय-निर्माण अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के अभाव का सामना करना पड़ता है। कृषि क्षेत्र की असंगठित प्रकृति और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ महिलाओं को श्रम कानूनों से वंचित करती हैं।

भारतीय श्रम कानून—समान वेतन अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम और मनरेगा जैसी नीतियाँ महिलाओं के लिए सुरक्षा का प्रयास करती हैं, लेकिन इनका प्रभावी क्रियान्वयन कृषि क्षेत्र में कमजोर है। कानूनों की प्रभावशीलता में कमी का कारण निरीक्षण तंत्र का अभाव, पंजीकरण की कमी और सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ हैं। यह शोध कृषि क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति, श्रम अधिकारों की उपलब्धता और कानूनों के क्रियान्वयन पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन यह दर्शाता है कि महिलाओं के श्रम अधिकारों का संरक्षण कृषि उत्पादकता और राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

इस अध्ययन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के श्रम अधिकारों की वास्तविक स्थिति और भारतीय श्रम कानूनों के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना है।

प्रस्तावना

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका ऐतिहासिक रूप से मजबूत रही है। कुल श्रम का लगभग आधा हिस्सा कृषि में संलग्न है, जिसमें महिलाओं का योगदान 30–40% तक माना जाता है। कई राज्यों में यह प्रतिशत इससे भी अधिक है, विशेषकर पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में। महिलाएँ खेतिहर मजदूरी से लेकर पारिवारिक कृषि-उद्यम तक अपनी सक्रिय भूमिका निभाती हैं, लेकिन उनका श्रम प्रायः "अदृश्य" माना जाता है — न उन्हें उचित मजदूरी, न सामाजिक सुरक्षा और न ही निर्णय-निर्माण में पर्याप्त भागीदारी।भारतीय संविधान महिलाओं के समानता अधिकारों और गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देता है। भारतीय श्रम कानूनों में मातृत्व लाभ, समान मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा आदि के अनेक प्रावधान मौजूद हैं। फिर भी अप्रशिक्षित, असंगठित, मौसमी और पारिवारिक श्रम के रूप में कृषि क्षेत्र की संरचना महिलाओं को कानूनी संरक्षण से वंचित कर देती है।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और स्थिति

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएँ न केवल सहायक कर्मी के रूप में, बल्कि मुख्य श्रम शक्ति के रूप में कार्य करती हैं। खेत की तैयारी और बीजारोपण से लेकर निंदाई-गुड़ाई, सिंचाई कार्यों में सहयोग, फसल कटाई, मड़ाई और दाना अलग करने तक, कृषि उत्पादन के अधिकांश चरणों में उनका श्रम अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, अनाज का भंडारण, प्रसंस्करण, सब्ज़ी उत्पादन और बागवानी जैसी गतिविधियों में भी महिलाएँ सक्रिय भूमिका निभाती हैं। बीज संरक्षण और घरेलू कृषि संसाधनों के प्रबंधन में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वे पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय तकनीकों को संरक्षित रखने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

इन कार्यों की प्रकृति अत्यधिक समय-साध्य और श्रमसाध्य होती है, जिसमें लंबे घंटों का शारीरिक परिश्रम शामिल रहता है। इसके बावजूद महिलाओं के इन कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन अक्सर कम किया

जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण और पारंपरिक लैंगिक मान्यताएँ महिलाओं के श्रम को "स्वाभाविक" या "सहायक" मानकर चलता है, जिसके कारण उन्हें उचित मजदूरी, मान्यता और निर्णय-निर्माण में भागीदारी नहीं मिलती। कई मामलों में महिलाएँ पारिवारिक कृषि में बिना किसी औपचारिक भुगतान के कार्य करती हैं, जिससे उनका श्रम राष्ट्रीय आय की गणना में भी परिलक्षित नहीं होता।

इस प्रकार, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की वास्तविक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद, उनकी स्थिति सामाजिक, आर्थिक और कानूनी मान्यता के संदर्भ में कमजोर बनी रहती है। उनके श्रम को उचित सम्मान और आर्थिक मूल्य देने के लिए व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

आय और मजदूरी असमानता

कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को आय और मजदूरी के स्तर पर उल्लेखनीय असमानताओं का सामना करना पड़ता है। महिला कृषि-मजदूरों को अक्सर पुरुष मजदूरों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है, भले ही वे समान या कई बार अधिक श्रमसाध्य कार्य करती हों। यद्यपि समान वेतन अधिनियम, 1976 स्पष्ट रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान करता है, परंतु कृषि क्षेत्र की असंगठित प्रकृति और कमजोर निरीक्षण व्यवस्था के कारण इसका प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाता।ग्रामीण समाज में व्याप्त सामाजिक और लैंगिक पूर्वाग्रह महिलाओं की श्रम क्षमता को कम आँकते हैं। अक्सर यह मान लिया जाता है कि महिलाओं द्वारा किया गया कार्य "हल्का" या "सहायक" है, जबकि वास्तविकता में वे निंदाई-गुड़ाई, कटाई, बीज संरक्षण, पशुपालन और प्रसंस्करण जैसे अत्यधिक परिश्रम वाले कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद मजदूरी तय करते समय पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम भुगतान किया जाता है।

श्रम ठेकेदारों और मध्यस्थों की भूमिका भी मजदूरी असमानता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदार मजदूरी दर तय करते हैं, और महिलाओं की कम बातचीत क्षमता तथा सामाजिक निर्भरता का लाभ उठाते हुए उन्हें कम भुगतान करते हैं। साथ ही, महिलाओं के लिए रोजगार

विकल्प सीमित होने के कारण वे कम मजदूरी स्वीकार करने को मजबूर हो जाती हैं।इसके अतिरिक्त, महिलाएँ अक्सर अनौपचारिक और मौसमी कार्यों में लगी रहती हैं, जिससे उनकी आय स्थिर नहीं होती। पारिवारिक कृषि में कार्य करने वाली कई महिलाओं को तो मजदूरी मिलती ही नहीं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है। इन सभी कारकों के कारण कृषि क्षेत्र में महिलाओं की आय असमानता एक गहरी और संरचनात्मक समस्या के रूप में उभरती है, जिसके समाधान के लिए प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है।

सामाजिक सुरक्षा की कमी

अधिकांश कृषि कार्य मौसमी, अनियमित और असंगठित प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण महिला श्रमिकों को अनेक प्रकार की असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कृषि क्षेत्र में प्रायः कोई औपचारिक नियोजन प्रक्रिया नहीं होती और न ही नियोक्ता एवं श्रमिक के बीच लिखित अनुबंध बनाए जाते हैं। इससे महिलाओं के कार्य की अवधि, मजदूरी दर और कार्य शर्तों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं रहता, जिसके कारण वे कानूनी अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाओं की अनुपस्थिति भी एक गंभीर समस्या है। कृषि कार्य में महिलाओं को लंबे समय तक धूप, धूल, रसायनों और भारी श्रम का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें चिकित्सा सुविधा, सुरक्षित कार्य उपकरण या प्राथमिक उपचार जैसी बुनियादी सेवाएँ नहीं मिलतीं। इसी प्रकार, अधिकांश महिला कृषि मज़दूर मातृत्व अवकाश या मातृत्व लाभ से भी वंचित रहती हैं, क्योंकि वे नियमित कर्मचारी के रूप में दर्ज ही नहीं होतीं। गर्भावस्था के दौरान भी उन्हें कठोर श्रम करना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य और शिशु के पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

कृषि कार्य जोखिम भरा भी होता है, परंतु दुर्घटना बीमा या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक महिलाओं की पहुँच अत्यंत सीमित है। असंगठित क्षेत्र में होने के कारण न तो उनके लिए कल्याण कोष उपलब्ध होता है और न ही पेंशन या अन्य सुरक्षा लाभ।इन सभी परिस्थितियों के कारण महिलाएँ आर्थिक रूप से अधिक संवेदनशील बन जाती हैं और गरीबी, शोषण तथा असमानता के दुष्चक्र में फँसी रहती हैं।

भारतीय श्रम कानून और कृषि क्षेत्र में महिलाओं के अधिकार

भारत में महिलाओं के श्रम **अधिकारों** की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य कार्यस्थलों पर समानता, **सुरक्षा** और सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करना है। **किंतु** कृषि क्षेत्र की असंगठित संरचना, मौसमी रोजगार और नियोक्ता–श्रमिक संबंधों की अस्पष्टता के कारण इन कानूनों का वास्तविक प्रभाव सीमित हो जाता है। भारतीय श्रम कानूनों का दायरा मुख्यतः **संगठित** क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि कृषि क्षेत्र में कानूनी ढाँचे का क्रियान्वयन काफी चुनौतीपूर्ण है।

- समान वेतन अधिनियम, 1976 के तहत पुरुष और महिला श्रमिकों को समान **कार्य** के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अक्सर कम मजदूरी दी जाती है। इसका मुख्य कारण **श्रम** निरीक्षण की कमजोर व्यवस्था, महिलाओं के कार्य को "हल्का" मानने की प्रवृत्ति और शिकायत दर्ज कराने में महिलाओं की झिझक है। कृषि क्षेत्र में कोई औपचारिक संगठनात्मक संरचना न होने के कारण इस कानून का पालन **सुनिश्चित** करना कठिन हो जाता है।
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 महिलाओं को मातृत्व अवकाश और संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करता है। लेकिन **कृषि** मजदूर स्थायी कर्मचारी नहीं होते और उनके पास न तो नियोक्ता की औपचारिक पहचान होती है और न ही रोजगार अनुबंध। अधिकांश महिलाएँ मौसमी मजदूरी या पारिवारिक खेत पर कार्य करती हैं, जिससे उन्हें मातृत्व लाभ का लाभ मिलना लगभग असंभव हो जाता है।
- श्रम संहिताएँ 2020 ने **असंगठित** श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को **विस्तार** देने का प्रयास किया है। विशेष रूप से **सामाजिक** सुरक्षा संहिता के माध्यम से पंजीकरण और लाभ वितरण के प्रावधान किए गए हैं। **लेकिन** कृषि मजदूरों का पंजीकरण, पहचान और **डिजिटल** प्रणाली का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

- मनरेगा 2005 महिलाओं के लिए सबसे प्रभावी रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। समान मजदूरी, कार्यस्थल सुविधाएँ और 100 दिन रोजगार जैसी विशेषताएँ महिला श्रम को मजबूत बनाती हैं। लेकिन कार्य आवंटन में कमी, भुगतान में देरी और पारदर्शिता की कमी इसके सकारात्मक प्रभाव को सीमित कर देती है।
- POSH Act 2013 यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है, किंतु कृषि क्षेत्र में नियोक्ता की पहचान स्पष्ट न होने और शिकायत समितियों का गठन न होने के कारण महिलाएँ इस अधिकार का लाभ नहीं उठा पातीं। ग्रामीण महिलाओं में कानूनी जागरूकता की कमी भी एक बड़ी बाधा है। समग्र रूप से देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में श्रम कानूनों का क्रियान्वयन सुदृढ़ करने की अत्यंत आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं के श्रम अधिकारों के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का बड़ा हिस्सा असंगठित है, जिसके कारण उनके पास पहचान पत्र, रोजगार अनुबंध या मजदूरी का रिकॉर्ड नहीं होता। इस असंगठित संरचना के कारण श्रम कानूनों का संरक्षण महिलाओं तक न्यूनतम ही पहुँच पाता है। सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ भी कानूनी अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक हैं। कई ग्रामीण महिलाएँ नियोक्ता के खिलाफ आवाज उठाने में संकोच करती हैं, मजदूरी या शोषण के मामलों में शिकायत नहीं कर पातीं और श्रमिक संगठनों से जुड़ नहीं पातीं। तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी कानूनी अधिकारों को कमजोर करती हैं। निरीक्षण प्रणाली कृषि क्षेत्र में कमजोर है, श्रमिकों का पंजीकरण नहीं होता और मनरेगा जैसी योजनाओं में भुगतान अनियमित होता है। इसके अलावा, शिक्षा और जागरूकता की कमी महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति असावधान बनाती है। इसका परिणाम यह होता है कि वे गलत मजदूरी स्वीकार कर लेती हैं, शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठातीं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं उठा पातीं।

श्रम अधिकारों के संरक्षण हेतु सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास

महिला कृषि श्रमिकों के **अधिकारों** की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए **सरकारी** प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनरेगा रोजगार और समान मजदूरी सुनिश्चित करता है, जबकि **दीनदयाल** अंत्योदय योजना (दाय-एनआरएलएम) **ग्रामीण** महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करती है। **प्रधानमंत्री** मातृत्व वंदना योजना गर्भवती और धात्री **महिलाओं** को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ई-**श्रम** पोर्टल असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर लाभ वितरण में पारदर्शिता लाता है। गैर-**सरकारी** संगठन (NGOs) महिलाओं को प्रशिक्षण, कानूनी **जागरूकता** और स्वयं सहायता समूह बनाने में सहायता करते हैं। वे महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनियों (FPCs) की स्थापना के माध्यम से महिलाओं की **आर्थिक** स्थिति और निर्णय क्षमता को मजबूत करते हैं।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं के श्रम अधिकारों के संरक्षण हेतु सुझाव

कृषि क्षेत्र में महिला **श्रमिकों** के अधिकारों की रक्षा और उनकी स्थिति सुधारने के लिए स्पष्ट और प्रभावी नीतियाँ आवश्यक हैं। सबसे पहले, कृषि क्षेत्र को श्रम कानूनों के दायरे में स्पष्ट **रूप** से शामिल करना चाहिए, जिससे महिलाओं के लिए अलग कानूनी ढाँचा और सुरक्षा सुनिश्चित हो। **महिला** श्रमिकों के पंजीकरण को अनिवार्य किया जाना चाहिए, और ई-श्रम पोर्टल को ग्राम स्तर तक **सशक्त** बनाना चाहिए। मातृत्व लाभ को विस्तारित कर **कृषि** मजदूरों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) आधारित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय मजदूरी **कमेटियों** और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) को मजबूत किया जाना चाहिए। कृषि कार्यस्थलों पर **सुरक्षित** वातावरण सुनिश्चित करने के लिए POSH कानून के तहत पंचायत स्तर पर शिकायत समितियाँ बनाई जानी चाहिए। महिला किसान संगठनों को FPOs और SHGs के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, तकनीकी प्रशिक्षण, **डिजिटल** लेन-देन, विपणन कौशल और श्रम अधिकारों के प्रति शिक्षा एवं जागरूकता अभियान महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करेंगे।

निष्कर्ष

कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है, **क्योंकि** वे खेतिहर श्रम के लगभग हर चरण में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। बीज रोपण से लेकर कटाई, **प्रसंस्करण**, पशुपालन और विपणन तक, महिलाएँ कृषि **उत्पादन** की निरंतरता सुनिश्चित करती हैं। इसके बावजूद, उनके श्रम को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी **स्तर** पर पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती। कृषि कार्य से जुड़ा अधिकांश श्रम असंगठित और अप्रत्यक्ष रूप में होता है, जिसके कारण महिलाओं के कार्य का रिकॉर्ड **उपलब्ध** नहीं होता और उन्हें श्रम कानूनों द्वारा प्रदत्त **सुरक्षा** का लाभ भी नहीं मिल पाता। भारतीय श्रम कानूनों में समान वेतन, मातृत्व लाभ, सुरक्षित **कार्यस्थल** और सामाजिक सुरक्षा जैसे अनेक प्रावधान **हैं**, लेकिन कृषि क्षेत्र की संरचना उन्हें इन अधिकारों से दूर रखती है। सामाजिक पूर्वाग्रह, पुरुष-प्रधान **निर्णय** प्रक्रिया और महिलाओं में कानूनी जागरूकता **की** कमी भी इन समस्याओं को और गहरा करती है।

ऐसी स्थिति में **आवश्यकता** है कि श्रम कानूनों का प्रभावी रूप से **क्रियान्वयन** किया जाए और कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिला **श्रमिकों** की पहचान तथा पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे सरकारी योजनाओं और सुरक्षा प्रावधानों का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही, लैंगिक समानता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंचायत **स्तर** से राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न संस्थाओं को **समन्वित** रूप से कार्य करना होगा। सरकारी और गैर-**सरकारी** संगठनों के सहयोग से प्रशिक्षण, **जागरूकता** प्रसार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का **विस्तार** सुनिश्चित किया जा सकता है। महिलाओं का कृषि श्रम केवल उनके परिवारों की आय और **आजीविका** का आधार नहीं है, बल्कि यह देश की खाद्य **सुरक्षा**, पोषण स्तर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भी अनिवार्य है। अतः महिला कृषि **श्रमिकों** के अधिकारों का संरक्षण सामाजिक न्याय की **आवश्यकता** के साथ-साथ समग्र आर्थिक विकास की भी महत्वपूर्ण शर्त है।

सन्दर्भ

1. Government of India. (2020). *Code on Social Security, 2020*. Ministry of Labour and Employment.
2. Government of India. (1976). *Equal Remuneration Act, 1976*. Ministry of Law and Justice.
3. Government of India. (1961). *Maternity Benefit Act, 1961*. Ministry of Labour and Employment.
4. Government of India. (2005). *Mahátma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) 2005*. Ministry of Rural Development.
5. National Commission for Women. (2018). *Status of Women in Agriculture in India*. New Delhi: NCW.
6. Food and Agriculture Organization. (2011). *The role of women in agriculture*. FAO, Rome.
7. International Labour Organization. (2020). *Gender and rural labour in India*. ILO Publications.
8. Kelkar, G., & Jha, S. (2015). Women's agency and rural transformation: Labour, land, and livelihoods in India. *Economic and Political Weekly, 50*(33), 43–52.
9. Agarwal, B. (2018). *Gender equality and agrarian institutions*. Oxford University Press.
10. Rao, N., & Mishra, A. (2019). Women's work in agriculture: Gendered patterns and structural constraints. *Journal of Rural Development, 38*(2), 145–162.
11. Singh, S., & Sharma, R. (2020). Labour rights and social protection for women agricultural workers in India. *Indian Journal of Labour Economics, 63*(1), 89–104.
12. Planning Commission. (2013). *Report of the working group on disadvantaged farmers, including women*. Government of India.